राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3826/2025

सरोज कुमारी

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), सचिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक), पंचायती राज (चिकित्सा), स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुंनू।
4. सुमन ढ़ाका, नर्सिंग अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसाउ, जिला झुंझुंनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2025
आदेश की दिनांक : 21.08.2025
<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री शोवित झाझरियां अधिवक्ता

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ग्रेड–II (नर्सिंग अधिकारी) के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसाउ, उपखण्ड मलसीसर, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय जिला चिकित्सालय, लालसोट, जिला दौसा में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को संमजित करने के उद्देश्य से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 270 कि.मी. दूर किया गया है। उनका कथन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसाउ में सरोज नाम की दो महिलाएं नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत है। जिसके लिए प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा पत्र प्रेषित कर किसको कार्यमुक्त करना है, इसके लिए मार्गदर्शन चाहा गया

कि सरोज कुमारी को वर्तमान तैनात स्थान से किस पद पर कार्यमुक्त किया जाना है। उक्त पत्र के पश्चात् निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से अपीलार्थी के स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया। परन्तु विभाग द्वारा की गई त्रुटि के लिए अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को लाभ पहुचाने के लिए उसका वेतन अन्य से आहरित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.08.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा लगभग 07 माह बाद स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी वर्तमान पद पर ही कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा विलम्ब से सूचना के कारण अपीलार्थी को दिनांक 05.08.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी का पति भी राजकीय सेवा में व्याख्याता के पद पर उसी जिले में कार्यरत है। अपीलार्थी के दो नाबालिग बच्चे है, जिनकी उम्र 14 वर्ष एवं 10 वर्ष है। उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम–2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत राज विभाग से अनुमति लिए बिना ही जिले से बाहर कर दिया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसाउ, मलसीसर, झुंझुंनूमें निरन्तर कार्य करने दिया जावें।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता

है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)